न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur2017-00191(2017-38) RTA223 Gabarram Vs Lunaram etc

गोबरराम पुत्र श्री हरजीराम उर्फ हरीराम जाति मेघवाल, निवासी- रियां, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट..

ब

ना

म

1. लूणाराम पुत्र श्री हरजीराम उर्फ हरीराम
2. शेराराम पुत्र श्री हरजीराम उर्फ हरीराम
3. मिरगा पत्नी शंकरराम
4. ओगड़राम पुत्र गोपाराम
5. करनाराम पुत्र बस्ताराम के कायम मुकाम-

5.1. श्यामलाल पुत्र स्व. करनाराम

5.2. धर्माराम पुत्र स्व. करनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पतासी पत्नी स्व. करनाराम

5.3. रविन्द्र पुत्र स्व. करनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पतासी पत्नी स्व. करनाराम

5.4. पतासी पत्नी स्व. करनाराम

6. प्रहलादराम पुत्र बस्ताराम
7. पुकाराम पुत्र बस्ताराम
8. दीनाराम पुत्र गोपाराम
9. बगदाराम पुत्र लादूराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- रियां, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

10. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीपाड़ शहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर दिनांक 22 मार्च 2017 राजस्व मूल वाद संख्या 31/2014 गोबरराम बनाम लूणाराम इत्यादि

उपस्थित-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 21 नवंबर, 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2014 गोबरराम बनाम लूणाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मार्च 2017 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील दिनांक 06 जून 2017 को अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपीलाण्ट की ओर से शपथपत्र सहित एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 668 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 1058 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 1105 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1106 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 1107 रकबा 12 बीघा खसरा नं. 1108 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1110 रकबा 26 बीघा, खसरा नं. 1118 रकबा 38 बीघा कुल रकबा 121 बीघा 10 बिस्वा ग्राम रिया तहसील पीपाड़ शहर के संबंध में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मार्च 2017 के जरिये वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का उक्त वाद को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती गलती की गई है। अदालत मातहत ने वादी का दावा महज कयासी दलीलों पर खारिज करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। वादी ने अपने दावे में दस्तावेजी एवं जबानी शहादत से साबित कर दिया था तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादी का दावा डिक्री किया जाना चाहिए था। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई जवाब दावा प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया एवं न कोई शहादत पेश की गई। इन परिस्थितियों में वाद पत्र में वर्णित अखण्डित वाद कथनों एवं वादी की अखण्डित साक्ष्य के आधार पर वादी का दावा डिक्री किया जाना चाहिए। वादी ने दावे के साथ तमाम राजस्व रेकर्ड पेश किया था एवं विरासत के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु घोषणा खातेदारी की मांग की गई थी। वादी की माता अणचाई एवं चाचा कानाराम फौत हो चुके थे, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। अणचाई के वारिसान् उनके तीन पुत्र है तथा कानाराम लाओलाद फौत हो गये। इस कारण उसके हिस्से की भूमि में हरजीराम के पुत्रों को ही अधिकार अर्जित हुए, इसमें भी कोई विवाद नहीं था। इन परस्थितियों में राजस्व रेकर्ड में मृत व्यक्ति के नाम का इन्द्राज रखने का कोई आधार नही था। स्वयं अदालत मातहत का दायित्व बनता था कि मृत व्यक्तियों के वारिसान् का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते। विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि राजस्व रेकर्ड में अणची एवं कानाराम का नाम दर्ज है एवं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किये गये है। प्रथम तो अणची एवं कानाराम की मृत्यु हो जाने का तथ्य निर्विवाद था एवं दोयम में उन दोनो के मृत्यु प्रमाण पत्र भी वादी द्वारा पत्रावली पर पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी

कर दिये गये, परन्तु उन मृत्यु प्रमाण पत्रों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज करते हुए फेसला कर दिया। भूमि खसरा नं. 879, 883, 889, 1068 एवं 1116 गांव रिया राजस्व रेकर्ड में अणचाई पत्नी हरीराम, लुणाराम, गोबरराम, शेराराम पिसरान् हरिराम व कानाराम पुत्र सांवलराम के नाम से दर्ज है। इनमें से अणचाई एवं कानाराम का स्वर्गवास हो चुका है एवं वादी ने अपने वाद पत्र में इस तथ्य खुल्लासा विवरण प्रस्तुत कर दिया था एवं वाद पत्र में हरिराम के वारिसान् का विवरण भी दे दिया था एवं वाद पत्र में कानाराम के वारिसान् के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, परन्तु विचारण न्यायालय ने मनमाने ढंग से वंश वृक्षावली पेश नही करना मानते हुए दावा खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के निर्णय को पढने मात्र से स्पष्ट है कि उनकी मंशा बाद में गुणावगुण पर निर्णय करने की थी ही नहीं बल्कि मनमाने ढंग से दावा खारिज कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने की थी। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को शहादत पेश करने का अवसर ही नहीं दिया एवं मनमाने तरीके से उनकी शहादत भी बंद कर दी। अपीलाधीन निर्णय में केवल वाद पत्र को उसी रूप में लिखते हुए अंतिम पद में बिना कोई माकुल कारण दर्शाये दावा खारिज कर दिया जो सरासर गलत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर विद्वान वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट गरीब व्यक्ति है एवं प्रायः गांव से दूर फलोदी में कमठे का काम करता है तथा उसका गांव में बहुत कम आना जाना रहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे का फेसला हो जाने के बारे में उसके वकील ने उसे कोई सूचना नहीं दी, इस कारण उसे फैसले की जानकारी नही हो सकी। अपीलार्थी फलोदी से दिनांक 30.05.2017 को मजदूरी के पैसे अपने परिवार वालो को देने के लिए आया एवं दिनांक 31.05.2017 को जाकर अपने वकील से मिला तथा मुकदमे के बारे जानकारी चाही तो वकील ने डायरी देखकर बताया कि दावे का फैसला हो गया। इस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थी ने दिनांक 01.06.2017 को नकल की अर्जी पेश करवाई जो नकले अपीलार्थी को दिनांक 02.06.2017 को मिली, उन्हें पढाने से अपीलार्थी को इस फैसले की प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पहले कोई जानकारी नही थी। अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपील अन्दर मियादशुमार कर स्वीकार की जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाकर माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण की परिस्थितियों एवं प्रस्तुत तथ्यो के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में विलंब का प्रश्न है, वकील अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट ग्रामीण परिवेश से होने तथा मजदूरी करने हेतु बाहर जाने से उसे अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक नजीरों में प्रकरणों को तकनीकी आधार के बजाय गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने पर जोर दिया है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं अपील क गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणों पत्रों मुताबिक खातेदार अणची एवं कानाराम का क्रमशः दिनांक 28.12.2011 एवं दिनांक 07.08.2000 को देहांत हो चुका है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2066-2069 ग्राम रियां ई.एक्स.पी.-3

राजस्व अपील प्राधिकारी

के मुताबिक भूमि खसरा नं. 879, 883, 889, 1068, 1116 अपीलांट गोबरराम रेस्पोडेंट लूणाराम, शेराराम एवं मृतक खातेदार अणची एवं कानाराम के नाम से दर्ज है। ए.एक्स.पी.-3 से वादी के सजरा खानदान की स्थिति स्पष्ट होती है। आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को मृतक खातेदार अणची एवं कानाराम के मृत्यु प्रमाण पेश नहीं किये जाने एवं वादी द्वारा सजरा खानदान का उल्लेख नहीं करने के आधार पर केवल तकनीकी आधार पर खारिज किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2014 गोबरराम बनाम लूणाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मार्च 2017 अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में उभय पक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.22

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर